संख्याः 4/2023/आई/290634/2023 /पैतीस-2-2023

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 21 मार्च, 2023**

विषयः- मण्डल मीरजापुर में 01 नया वाहन क्रय कर प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-134/ले0-18/2021(2), दिनांक 03.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक- "5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण की 14-मोटर गाड़ियों का क्रय" मद में प्राविधानित रू0 8,00,000/- एवं वित्त विभाग के संख्या-RE-budget-1-489/दस-2023, दिनांक 16 मार्च, 2023 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 46,000/- अर्थात कुल रू0 8,46,000/- में से रू0 8,45,283/- की धनराशि मण्डल कार्यालय मीरजापुर के लिए BOLERO B4 BS6 माडल वाहन क्रय कर प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति सहित निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

(1) प्रभाग द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

(5) प्रभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(6) प्रभाग द्वारा प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नही हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रभाग द्वारा उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(8) चूंकि भारत सरकार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुये गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अतः प्रभाग द्वारा उक्त वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरों के आधार पर किया जायेगा।

(9) प्रभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस अधिकारी को प्रश्नगत वाहन आवंटित किया जाना है उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई शासकीय वाहन आवंटित नहीं है।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 4/2023/आई/290634 (1)/पैंतीस-2-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।